मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

कमांक/E-686674 **भोपाल, दिनांक 15 मई, 2026**

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः-मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 अंतर्गत अवकाश स्वीकृति के अधिकारों के प्रत्यायोजन के संबंध में।

----00----

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 के नियम 3(ज) अंतर्गत अवकाश स्वीकृत करने हेतु "सक्षम प्राधिकारी" को परिभाषित किया गया है। इन नियमों की प्रथम अनुसूची के नोट 5 में उल्लेख है कि "मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025" के लागू होने पर सभी विभाग, उपर्युक्तानुसार अवकाश स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

2. उपर्युक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
3. उदाहरण मात्र के लिए मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा कोष एवं लेखा संचालनालय के संबंध में अवकाश स्वीकृति के अधिकार प्रत्यायोजन संबंधी जारी आदेश की प्रति भी संलग्न है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by
Vivek Kumar Gharu
Date: 15-05-2026
14:18:01

(विवेक कुमार घारू)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक/E-686674 **भोपाल, दिनांक 15 मई, 2026**

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव / निज सहायक, मान. वित्त मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन भोपाल
5. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
6. आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन नई दिल्ली
7. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
9. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
10. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
12. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
13. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश राज्य शासन भोपाल
14. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
16. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर
17. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
18. सचिव, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
19. सचिव, कर्मचारी आयोग, बी-1 गोमंतिका परिसर, भोपाल
20. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
21. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
22. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
23. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
24. समस्तक अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/परामर्शी/अनुभाग अधिकारी, वित्तविभाग
25. संचालक पेंशन , भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश भोपाल ।
26. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
27. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
28. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
29. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
30. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
31. गार्ड फाईल ।

Digitally signed by
Abhishek Chohan
Date: 15-05-2026
14:25:37

(अभिषेक चौहान)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक / /2026

क्रमांक एफ 1/1/40/0001/2026/ई/चार, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम-2025 के अंतर्गत आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल के अधीनस्थ अधिकारियों को अवकाश स्वीकृति के अधिकार निम्नानुसार प्रत्यायोजित किये जाते है:-

क्र.	अवकाश का प्रकार	जारी नियमों में स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी	अवकाशों की स्वीकृति हेतु अधिकारो का प्रत्यायोजन			रिमार्क
			श्रेणी	प्रत्यायोजन	प्रदत्त अधिकार	
1	2	3	4	5	6	7
1	अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश, लघुकृत अवकाश, अदेय अवकाश, प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश दत्तक ग्रहण अवकाश, संतान पालन अवकाश	प्रशासकिय विभाग /विभागाध्यक्ष	जिला स्तर			
			तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी	कार्यालय प्रमुख	एक वार में 120 दिन तक	
				जिला कलेक्टर	120 दिन से अधिक	
			द्वितीय श्रेणी	जिला कलेक्टर	120 दिन तक	
				विभागाध्यक्ष कार्यालय	120 दिन से अधिक	
			प्रथम श्रेणी	विभागाध्यक्ष कार्यालय	पूर्ण दिवस	
			संभागीय स्तर			

			तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी	कार्यालय प्रमुख	पूर्ण दिवस	
			द्वितीय श्रेणी	कार्यालय प्रमुख	60 दिन तक	
				आयुक्त, कोष एंव लेखा	60 दिन से अधिक	
			प्रथम श्रेणी	संभाग आयुक्त	60 दिन तक	
				आयुक्त, कोष एवं लेखा	60 दिन से अधिक	
			संचालनालय स्तर			
			चतुर्थ श्रेणी	कार्यालय प्रमुख	पूर्ण अधिकार	
			तृतीय श्रेणी	संचालक, कोष एवं लेखा	पूर्ण अधिकार	
			द्वितीय श्रेणी	आयुक्त, कोष एंव लेखा	पूर्ण अधिकार	
			प्रथम श्रेणी	आयुक्त, कोष एवं लेखा	पूर्ण अधिकार	

मध्यप्रदेश के राज्य शासन के नाम से तथा

आदेशानुसार

Digitally signed by
Radhe Shyam Baghel
Date: 19-01-2026
12:47:16

(राधेश्याम बघेल)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रं. एफ 1/1/40/0001/2026/ई/चार, भोपाल, दिनांक / /2026

प्रतिलिपि:-

1. **माननीय उप मुख्यमंत्री जी वित्त के विशेष सहायक,**
2. **अपर मुख्य सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त के निज सहायक,**

3. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,

4. आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग